संविधान

Governed by : Helping Hand Corruption & Crime Control Trust)

Anti Corruption & Crime-control Force

Recognised by Govt of India | Reg. No. : B-4-2616/2018-19

Central Off. : B-83, Near Akhara, 5 Mandir Marg, Shahbad Dairy,
Sec.-26, Rohini, Delhi-110042

9654644963 -8860759517

nationalchief.accf@gmail.com

www.anticorruptioncrimecontrolforce.com

अमर शहीदों को श्रद्धंजलि

मैं, एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फोर्स, नामक संस्था का चीफ ऑफ द नेशनल स्टाफ एंड फाउंडर हूँ। भारत वर्ष में आज जो समाज की स्थिति हैं उसे मैं महसूस कर रहा हूँ शायद आप भी कर रहे हो, देश को आजाद करप्ने में हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानियां दी अपनी जान घर परिवार की चिंता न करते हुए हँसते हँसते फांसी पर झूल गए, मुल्क को आजाद कराने में कितना ही खून बहा कितने लोग घर से बेघर हुए कितनी ही औरतें विधवा हुई कितने ही बच्चे अनाथ हुए , शायद आपको मालूम ना हो किन्तु मेरा सौभाग्य है कि मुझे शिक्षा उन लोगो से मिली जो राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह ,चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस के साथी रहे , राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी देने से पूर्व ही अंग्रेजों ने उन्हें अंड मान निकोबार (काला पानी) भेज दिया था जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तब हमारे देश की सरकार उन क्रांतिकारियों जेल से रिहा कर स्वदेश लेकर आई , उन महान क्रांतिकारियों के नाम दुर्गा भाभी शिव वर्मा जी मा0 राजवीर सिंह उखलाना अलीगढ वाले जिनके नाम आज भी आजादी के इतिहास में विदित है। मेरे परम पूज्य गुरु इकलाब गनी खान लेक्चर अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इन महान हस्तियों से मिलवाया और मुझे इन महान क्रांतिकारियों का सनिध्य प्राप्त हुआ। मैंने अपने इन महानुभावो शिक्षको से जाना कि भारत को आजाद कराने में सात हजार सात सौ बत्तीस नायक अंग्रेजी हुकूमत लड़ते हुए हँसते हँसते फांसी पर झूल कर कितनी कठिनाइयों खून- खराबे और कुर्बानियों के बाद देश को आजादी दिखाई थी। हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसे संभाल नहीं पाए। देश और समाज के हालातों को देख कर रोना आता है आज राजनीति एक व्यापार बन गया हैध

आज से 40 साल पूर्व जो प्यार प्रेम लोगों में देखने को मिलता था वह आज नहीं है , हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए है कि पड़ोसियों से बात करना मेल -मिलाप बहुत दूर की बात है हम बच्चो को भी समय और संस्कार नहीं दे पाए , पश्चिमी संस्ंति इतनी हावी हो गई है कि हम अपनी मूल संस्ंति को भी भूल गए है। विज्ञान ने तरक्की की है कि आज हर हाथ में मोबाइल है इंटरनेट है, हम घर में रह कर भी अकेले हैं । आखिर इस स्थिति का जिम्मेदार कोन है, भष्ट्राचार अपराध और अन्याय इतना बढ़ रहा है अब इस समाज में रहना दुभर हो गया है , कहा जायेंगे हम इसे छोड़ कर , यह वही भारत है जहा हमारे पूर्वज शासन करते थे और सम्पूर्ण विश्व हमारी मान्यताओं परम्पराओं दिनचर्या और नीति का अनुसरण करता था, भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था, और भारत सोने की चिड़िया कहलाता था ,कहाँ गई वह सोने की चिड़िया और कहाँ गया विश्व गुरु का दर्जा ,सब कुछ खतम कर दिया इस झूठे फरेब की राजनीति ने,कुछ आज भी लोग तर्क देते है कि पहले इस देश को मुगलों ने लूटा, बाकि जो बचा खुचा था उसको अंग्रेजों ने लूटकर ले गए। क्या हमारे विनाश का यही सच है ? मैं इससे नहीं मानता ,धन सम्पति और सेपना लूटने से हमारी मूल संस्ंति का विनाश होना असंभव है। सच यह है कि हमारी मूल शिक्षा का लुप्त हो जाना ,हमारी शिक्षा संस्ंति में बदलाव ही हमारी मूल संस्ंति के पत्तन का कारण है। शिक्षा सभी के लिए अनिवर्या है बिना जातीय भेदभाव के और भारत की मूल शिक्षा पध्दति को लागू करना ही देश और समाज के हित में होगा। और इस कार्य को राजनीति से ऊपर उठ कर ही अंजाम तक पहुंच सकते है ।यह संगठन संविधान और संगठन के सभी काम देश उन सभी शहीदों राह में श्रदांजलि स्वरुप हैं , और अखण्ड भारत निर्माण में बढ़ते कदम हैं ।

यदि आप और अधिक जानना और उपरोक्त परिस्थिति से बाहर निकल कर अपराध अत्याचार विहीन , सुसंस्कारित ,जातिविहीन वर्ग भेदभाव विहीन, सुन्दर स्वास्थ्य प्रगतिशील भारत की स्थापना करने के पक्ष्धर है और आज की शिक्षा नीति में बदलाव कर अखंड भारत का निर्माण करना चाहते है तो हमारे साथ आये हमारे कंधे से कन्धा मिलाकर चले, एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फोर्स के सदस्य बन कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें।

चन्द्र शेखर आजाद

एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फोर्स

संस्था – एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स ,संक्षिप्त नाम (ए. सी. सी. एफ)भारत देश के उस देश भक्त मानव जाति का समहू हैं जो जाति संप्रदाय विहीन, भ्रष्टाचार, अन्यसय, अपराध, मानव शोषण मुक्त, सुन्दर स्वस्थ शिक्षित भय मुक्त अखंड भारत की स्थापना में सक्रिय भूमिका निर्वाह कर रहे है ध्इस फोर्स का निर्माण और संचालन भारत सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक ट्रस्ट, हेल्पिंग हैंड्स करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल ट्रस्ट ,रजिस्ट्रेशन न द्र- 2616-2018 - के ट्रस्टीज ने अपने एक प्रस्ताव के तहत किया है। ए.सी.सी. एफ.के सर्वाधिकार हेल्पिंग हैंड्स करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल ट्रस्ट के पास सुरक्षित है।

मुख्यालय - एंटी करप्शन एंड क्राइम फोर्स का कार्यालय ,बी -83 ,नियर अखाडा ,पांच मंदिर मार्ग ,शाहबाद डेरी ,रोहिणी सेक्टर--26,दिल्ली-110042 संस्थापक - एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फोर्स के संस्थापक ध्चीफ ऑफ द नेशनल स्टाफ श्रीयुत चंद्र शेखर आजाद है ध्जोकि हेल्पिंग हैंड्स करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फोर्स के संस्थापक ध्चेयरमैन भी हैं।
कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण भारत।

उद्देश्य

सम्पूर्ण भारत संपन्न राष्ट्र भारत की एकता अखंडता और विधि द्वारा स्थापित संविधान के अंतर्गत कार्य करते हुए अपने महान राष्ट्र भारत के नागरिको को बिना किसी जाति, लिंग, भाषा, सम्प्रदाय आर्थिक स्तर या क्षेत्र के आधार पर घृणा, द्वेष या प्रेम की भावना से भेदभाव किये, उन्हें उनके हिस्से के नागरिक अधिकारों की सुनिश्च्ति करने और उनसे उनके नागरिक कर्तव्यों और दायित्वों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, सामाजिक असमानता जनित अस्पृयता या घृणा, कन्या भूर्ण हत्या, निवारण, पर्यावरण, श्रमिक समस्या, महिला सुरक्षा आदि के लिए कर सबके लिए विकास के समान अवसरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जनता को जागरूक करने के लिए जन सभाए, नुकड़ सभाएं, पद यात्रायें, जुलूसों, धरनो, प्रर्दशनों व प्रचार के अन्य तमाम माध्यमों द्वारा जान जागरण और सरकार, शासन, प्रशासन के पत्र व्यवहार, स्टिंग आप्रेशन और अन्य प्रकार के सबूतों को जुटाकर न्यायालय या अन्य विधि सम्मत व्यवहार के माध्यम से समस्या के सामधान निकालने में सहयोग क्र अपने देश के नागरिको की सेवा कर राष्ट्र के योगदान सुनिश्चित करना।

2 - एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फोर्स सामाजिक मूल्यों का समर्थन, मौलिक अधिकारों की रक्षा, मनोवैज्ञानिक आर्थिक शिक्षा शोषण से मुक्ति, तैनाती, स्वास्थ्य, विकलांगता, लिंग संवर्धन ,जल और स्वच्छता के क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी भारत में समर्थन के लिए सेवाएं सहयोग सहायता करेगी । सुशाशन, बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण, बच्चों, वयस्कों, सभी महिला, पुरुषो, वृद्धों, विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्य करेगी । जो एच. आई. वी या एड्स से प्रभावित है या खतरनाक जीवन जी रहे है। कैदियों / कैदियों के बच्चों / ट्राजेन्डर / अन्य कमजोर वर्गों और बच्चों , व्यसको के लिए आवासीय सुविधाओं की स्थापना संचालन करना / अनाथ और सहयोग के लिए कार्य करना कराना।

3 - एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फोर्स सदस्यों और आम जनता के सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक उत्थान के लिए काम करेगी।

4 - एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फोर्स जरुरतमंदो की मदद और पुरुष प्रथाओं , असामाजिक गतिविधियों को खत्म करने के लिए काम करेगी / वृद्धाश्रम, अनाथ बाल आश्रम का निर्माण संचालन, गरीबो के इलाज, खाने पीने आदि की व्यवस्था करेगी।

5 - भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कानून के अनुसार भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए काम करना / कार्य क्षेत्र मानव अधिकार , सूचना का अधिकार 2005 , शिक्षा का अधिकार अधिनियम , सेवा का अधिकार अधिनियम , स्वतंत्रता और बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा अधिनियम निरोधक कानून के तहत अपराधों का दंड दिलाना एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फोर्स का कार्य है।

6 -सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों में भ्रष्टा गतिविधियों को हतोत्साहित करना और स्वस्थ समाज का गठन करना एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फोर्स का अधिकार है।

7 - राष्ट्रीय एकता , साम्प्रदायिक सदभाव और मातृभूमि की रक्षा ,सेवा के लिए कार्य करना ध् संसाधनों को एकीत करना, सभी हित धारको के प्रयासों में तालमेल बनाना , और शासन में अखंडता को बढ़ावा देना और प्रभावी भ्रष्टाचार निरोधक माध्यमों से भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना, सभी भ्रष्ट गतिविधियों के भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाना एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फोर्स का काम है।

8 - सभी जमा खोरो को उलझाकर भारतीय गणराज्यों के काम काज में नैतिक मानकों अखंडता का पालन सुनिश्चित करना -

क) भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए युवाओ में जागरूकता पैदा करना।

ख) भ्रष्टाचार की गुंजाइस को काम करने के लिए प्रभावी उपाय करना।

ग) जवाब देही के साथ-साथ प्रवर्तन एजेंसी के कानूनी और नियामक ढांचे और क्षमता निर्माण को मजबूत करना।

घ) भ्रष्चार विरोधी कानूनों और विनियमों के सख्त त्वरित प्रवर्तन द्वारा भ्रष्टचार के खिलाफ स्थाई रोक पैदा करना।

ड) सभी हित धारको के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाया जाये और उन पर उचित कार्यवाही की जाये।

च) भ्रष्ट साधनो के माध्यम से अर्जित धन के निवेश और उपयोग के अवसरो को कम करना।

9 - सदस्य और सामान्य युवा वर्ग के बीच भाई चारे और सहयोग ,आपसी-सौहार्द , प्रेम और स्नेह की भावना पैदा करना।

10 - भारत के राष्ट्र एकीकरण और एकता के कारणों को बढ़ावा देने और भारत में अलगाववाद और भ्रष्टचार की ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ना।

11 - स्वास्थ्य, देखभाल, सफाई, प्रदूषण, तकनीकी, राजनीतिक, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, कंप्यूटर और वयस्क शिक्षा के बारे में लोगो को जागरूक करना और एकजुट करना।

12 – समाज को बढ़ावा देने के लिए और महिलाओ – विधवाओं , विकलांगो और समाज के अन्य पिछड़े वर्गो कानूनी अधिकारो और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए काम करने और मानव अधिकारों के सिद्धांतों को सरकार के साथ मिलकर बचाने के लिएध्पुलिस सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए कार्य करना / सभी लोकतांत्रिक और संवैधानिक साधनो और विधियों द्वारा कालोनी, विद्युतीकरण, पानी, टेलीफोन सुविधाएं, बिलिंग,डिस्ट्रीव्यूशन सिस्टम, स्कूल या डिस्पेंसरी, अस्पताल, डाकघर, सामुदायिक केंद्र और पार्क सुविधाओं आदि के पुनर्गठन जैसी समस्याओं को उनके दिन प्रति दिन हल करने के लिए अधिकारियों से तालमेल कायम करना।

13 – डी. डी. ए – एम. सी. डी – हुड्डा और अन्य स्टेटों में कार्यरत इस तरह के सभी विभागों से सम्पर्क करके नर्सरी, प्री –प्राइमरी, मिडिल, सीनियर सेकेंडरी स्कूलो, इंजीनियरिंग, पार्क, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल और अन्य कॉलेजेस को खोलने के लिए अन्य सम्बंधित एजेंसी को जाति, पंथ और सामाजिक स्थिति और किसी भी उद्देश्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने, सूचना प्रद्योगिकी पार्क, सार्वभौमिकता, शिक्षा पार्क और अन्य सम्बंधित अवसंरचना विकसित करने के लिए भूमि आवंटन का अधिकार एंटी करप्शन एंड क्राइम कन्ट्रोल फोर्स को प्राप्त है।

14 – टंकण संस्थान में टाइपिंग, शार्ट हैंड, कंप्यूटर, मॉडलिंग, कट्टिंग और टेलरिंग जैसी व्यवसायिक योग शारीरिक, शेक्षिक वास्तुकार, आधुनिक कला और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र अदि जागरूकता कार्यक्रमों की अन्य सामाजिक कार्यक्र्म की गतिविधियों को संचालित करना / कक्षायें/ व्याख्यान, निबंध प्रतियोगिता, प्रदर्शनी, संगोष्ठी, सांस्ंतिक कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस , सेमिनार आयोजित करने का अधिकार।

15 – इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा कॉलेज , मेडिकल कॉलेज , डिप्लोमा एंड मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन, शिक्षा संस्थाएं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंट्रेस्ट टीचर ट्रेनिंग एंड स्पेसलाइस्ड स्टुडिओस एंड टेक / बी.ए.आर.इ /एम.बी.ए /बी.ए.डी / बी.पी.इ.डी /एम. इ. डी /एन.टी.टी /बी.टी.सी पाठ्यक्रम छात्र को अधिनियमों और विनियमों के अनुसार काम करने का अधिकार।

16 – अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सामाजिक नेटवर्किंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थान में व्यापक जनप्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना / भ्रष्टाचार और अपराध से लड़ने की पहल करना।

17 – अपराध, भ्रष्टाचार से लड़ने और पुलिस सेवा के साथ-साथ अन्य राज्य कानून प्रवर्तक और समाज को बढ़ावा देने के लिए पुलिस समाज, सामाजिक संगठनो, व्यवसायिक और आम आदमी के साथ सांझेदारी को कायम करना, सुरक्षा संगठन बनाना।

18 – जहाँ लोकतंत्र के कयाम करने की वैद्यता लगती है वहा लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए लोकतंत्र के खिलाफ खड़े होने वाले कारणों और उनकी जड़ो को तलाश करके संबंधित सरकार को रिपोर्ट करने व लोकतान्त्रिक बहाली के तमाम सर्वेधानिक अधिकार।

19 – बाल मजदूरी, बाल शोषण, शारीरिक यातना जैसे मामलों में चिल्ड्रन एक्ट के तहत कार्यवाही दोषी को दण्डित करने का प्रवाधान और पीड़ित बच्चों को शिक्षित व सभी आवश्यक मदद करने का अधिकार।

20 – यदि किसी व्यक्ति को सार्वजानिक जीवन में अन्य किसी के द्वारा परेशान किया जाता है तो अदालत में मामला दायर करना चाहिए ताकि पीड़ित को मुआवजा और न्याय मिल सके- टंकण संस्थान में टाइपिंग, शार्ट हैंड, कंप्यूटर , मॉडलिंग, कट्टिंग, टेलरिंग जैसी वयवसायिक(शिक्षा) योग शारीरिक, शैक्षिक वास्तुकार, आधुनिक कला और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदि जागरूकता कार्यकर्मो की अन्य सामाजिक गतिविधयों को संचालित करना / कक्षाएं, व्याख्यान, निबंध प्रतियोगिताओं, प्रदशनियों, संगोष्ठी, सांस्ंतिक कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सेमिनार आयोजित करने का अधिकार।

21 – भ्रष्टाचार, अपराध और सामजिक सुरक्षा संबधित मुद्दों और कार्यो, उपायों को प्रकाशित करने के लिए, समाचार पत्र प्रकाशित करने, टी.वी सीरियल बनाकर प्रसारित करने व संचार सेवा स्थापित करने का अधिकार।

22 – किसी भी मामले में प्रशिक्षण केन्द्रो को व्यवस्थित करने के लिए, स्थानीय लोगो को उनकी बेहतरी के लिए और सरकार से सूचना नोटिस में मदद करने हेतु / सरकारी अर्ध सरकारी /राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्यों को व आम जनता को समान महत्त्व दिया जायेगा।

23 – अपने उदेश्यों की पूर्ति के लिए सरकार से वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता प्राप्त करना / गैर सरकारी संगठन और अंतराष्ट्रीय एजेंसी, बैंक और अन्य कानूनी इकाईओं या वयक्ति और अन्य संघो से सहायता प्राप्त करना / समान विचार धारा वाले संघटनो से सहयोग लेना या देना।

24 – ऐसे अन्य कार्य, कार्य गतिविधिया करना जो आवश्यक है और जोकि संगठन की किसी भी वस्तु स्थिति की प्राप्ति के लिए आकस्मिक या प्रवाहकीय हो सकते है।

25 – संस्था के उदेश्य विशुद्ध रूप से धर्मार्थ होंगे, संस्था भ्रष्टाचार, अपराध, बाल शोषण , महिला शोषण, कुरीतियों, अशिक्षा आदि के खिलाफ, सुन्दर, शिक्षित, स्वच्छ, जागरूक, मानव एकता, प्रोंतिक सम्पदा की रक्षा, देश के विकास के लिए कार्य करके अखंड भारत की स्थापना के लिए संकलिप्त है। (नोट – इस संविधान वही उद्देश्य प्रकट किये गये हैं जोकि हैल्पिंग हैंड्स एन्ड क्राइम कन्ट्रोल ट्रस्ट के रजिस्टर्ड संविधान में निहित हैं)

भागीदारी

क) कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो देश के संविधान में पूर्ण विश्वास आस्था रखता हो और एंटी करप्शन एंड क्राइम कन्ट्रोल फोर्स के संविधान को स्वीकार करते हुए संगठन की नीति निर्देशों का पूर्ण ईमानदारी से अनुपालन करते हुए अखण्ड भारत के निर्माण में खुद को सक्षम मानता हो, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो जिसका देश के किसी भी पुलिस थाने में कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड न हो, भगौड़ा या दिवालिया घोषित न किया गया हो, वह एंटी करप्शन एंड क्राइम कन्ट्रोल फोर्स में भागीदार हो सकता है।

ख) एंटी करप्शन एंड क्राइम कन्ट्रोल फोर्स लिंग / पुलिंग (स्त्री, पुरुष) की कोई बाध्यता नहीं है, यह संगठन सभी को समान अधिकार देता है। इस फोर्स में अपना पूर्ण बायो डाटा, आधार कार्ड की फोटो प्रति, 3 पासपोर्ट साइज फोटो और पुलिस वैरिफिकेशन सर्टीफिकेट और सदस्यता शुल्क 1100 रुपये देकर स्क्वैड के रुप में भागीदारी प्राप्त कर सकता हैध हैड स्क्वैड 1500/- रुपए सदस्यता शुल्क दे कर भर्ती हो सकते है।

ग) प्रत्येक आवेदक को शुरू में स्क्वैड या हैड स्क्वैड के तौर पर भर्ती किया जायेगा यदि वह एंटी करप्शन एंड क्राइम कन्ट्रोल फोर्स के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में सक्रिय पाया जाता है और अपने कोटे के दस मेंबर संगठन में जोड़ता है तो उस की पदोन्नति कर योग्य पोस्ट की जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रत्येक दो साल के अन्तराल में राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक की सभी टीम की कार्य समीक्षा की जायेगी जिसके अनुशार उन्हें पदोन्नति व पदानवत किया जायेगा । किसी भी पदाधिकारी को योग्यतानुसार कहीं भी कोई भी जिम्मेदारी नेशनल चीफ के आदेशानुसार सौंपी जा सकती है ।

घ) प्रत्येक सदस्य के आई डी कार्ड दो साल में एक बार अवश्य नवीकरण किया जायेगा , जिसका नवीकरण शुल्क 400/- रुपए होगा। नोट – एंटी करप्शन एंड क्राइम कन्ट्रोल फोर्स के क्रियाकलाप, राष्ट्र और नागरिक हितो में अति संवेदनशील पहलु है / संस्था के कार्य एक मिशन स्वरूप राष्ट्र और उसके नागरिको के कल्याण हेतु समर्पित है, इसमें शामिल होना पूर्णता सर्वेच्छिक और अवैतनिक है। अतः सोच समझ कर ही शामिल हो। युवतियाँ / महिलाओ के लिए अपने परिवार के संरक्षक से हस्ताक्षर युक्त सहमति पत्र जमा करवाना अति आवश्यक है।

संस्था का कोष

क) संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रींत बैंक में संस्थापक चीफ ऑफ द नेशनल स्टाफ के हस्ताक्षर से होगा , प्रदेश एवं जिला व अन्य शाखाओ में संस्थापक चीफ ऑफ थे नेशनल स्टाफ द्वारा अधिकारित दो पदाधिकरियों के सयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा।
ख) किसी भी शाखा या इकाई से प्राप्त प्रवेश शुल्क या दान राशि सीधे केंद्रीय कार्यालय या उसके बैंक खाते में जमा होगी।

धन विभाजन

धन विभाजन में सदस्यता शुल्क ,दान राशि में 20 प्रतिशत संबंधित जिला का और 20 प्रतिशत प्रदेश इकाई तथा 60 प्रतिशत केन्द्र का हिस्सा होगा । कोई भी राशि सीधे केंद्र के खाते में जमा होगी जिसे उनके हिस्से के अनुशार प्रत्येक माह के अंत में संबंधित इकाई के खाते में उनके हिस्से के अनुशार केंद्र द्वारा भेज दिया जायेगा ।

संस्था का ध्वज

क) संस्था का ध्वज आयताकार होगा और उसकी लम्बाई चौड़ाई 2.1 का अनुपात होगा।
ख) ध्वज का रंग नीला और लाल होगा जो चौड़ाई में निचले सिरे से लम्बाई के दूसरे किनारे के ऊपरी अंतिम छोर तक एक तिरछी रेखा के रूप में विभाजित होगा। नीला रंग समग्र समाज की सुख शांति से पूर्ण सामाजिक स्वतंत्रता की भावना का प्रतिनिधित्व करता है और लालय रंग उत्पीड़न के द्वारा सामाजिक व्यवस्था पर नियंत्रण का प्रतीक है ६ ध्वज में नीले रंग को ऊपर रख कर प्रभावजन्य रूप से सांद्र रूप प्रदान कर अत्याधिक प्रभावी और नीलू रंग के सापेक्ष लाल रंग को निचे रख कर प्रभावजन्य रूप से तरलींत कर तनुता प्रदान कर अल्प प्रभावी किया गया है।
ग) ध्वज के बीच में संस्था का प्रतीक चिन्ह मुद्रित या कढ़ाई कर के निर्मित होगा।

संस्था का प्रतीक चिन्ह

क) संस्था का प्रतीक चिन्ह नीले लाल रंग की पृष्ठ भूमि की कलात्मक ओंति में होगी।
ख) प्रतीक चिन्ह में नीले लाल रंग की पृष्ठ भूमि का नीला रंग ऊपर की ओर तथा लाल रंग नीचे की तरफ होगा ६ नीला रंग समग्र समाज की सुख शांति से पूर्ण सामाजिक स्वतंत्रता की भावना का प्रतिनिधित्व करता है और लाल रंग उत्पीड़न के द्वारा सामाजिक व्यवस्था पर नियंत्रण का प्रतीक है । ध्वज में नीले रंग को ऊपर रख कर प्रभावजन्य रूप से सान्द्र रूप प्रदान कर अत्याधिक प्रभावी और नीले रंग के सापेक्ष लाल रंग को नीचे रख कर प्रभावजन्य रूप से तरलींत कर तनुता प्रदान कर अल्प प्रभावी किया गया है।
ग) संस्था का प्रतीक चिन्ह जिसमे उड़ान से शिकार पर झपटते हुए पक्षी बाज जोकि शक्ति का प्रतिक है और ऊपर की ओर बाज के गोलाई बनते हुए पंख के बीच भारत नक्शें के ऊपरी सिरे पर सामने से बैठे उल्लू पक्षी जो दुनिया में बुद्धिमता का प्रतीक है स्थापित किया गया है।
घ) भारत के नक्शे के अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास और कलम का एक दूसरे को क्रास कर रखी गई ओंति यह सन्देश प्रदर्शित करती है कि हम सूक्ष्म अन्वेक्षणकारी दृष्टि और उसके दवारा प्राप्त परिणाम को कलम की शक्ति से जनोपयोगी और जन –त्राणकारी बनाने के लिए किये जा रहे साकारत्मक परिणाम को प्राप्त करने की प्रतिबंधता के लिए कृत संकल्प है।
ड) बाज द्वारा अपने पंजों में जकड़ी हुई एक छोटी पट्टी के नीचे उसी से जुड़ी बड़ी पट्टी पर महान ग्रन्थ ‘‘मुण्डकोपनिषद’’ से लिया गया हमारा प्रेरणास्पद महावाक्य ‘‘सत्यमेव जयते’’ जिसका अर्थ है की हम इस बात के विश्वास के प्रति समर्पित है कि ‘‘सदैव सत्य की ही विजय होती ह’’ ।
च) अर्ध चंद्राकार पट्टिका के नीचे स्थापित कलात्मक ढंग से सफेद पट्टिका पड़ हमारा उद्घोष वाक्य ‘‘बचेंगे। बचांएगे। सुदृढ़ राष्ट्र बनायेंगे।’’ अंकित होगा।

शाखाएँ

क) एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फोर्स की शाखा राष्ट्रीय स्तर पर होगी।
ख) देश के समस्त प्रदेश, जिला , तहसील व ब्लॉक स्तर पर एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फोर्स की शाखाएँ होंगी।

नियुक्तियां

क) सभी नियुक्तियां केंद्रीय कार्यालय द्वारा संदर्भित इकाई के पद हेतु प्रस्तुत बायो डाटा पर विचार के उपरांत इस कार्य हेतु नियुक्त सक्षम प्राधिकारी के द्वारा की जाएगी तथा इस प्रक्रिया में 1 माह से लेकर 35 दिन की समयावधि लगाना स्भाविक है कोई भी सदस्य इससे पूर्व फोन आदि न करें।
ख) परिचय पत्र केंद्रीय कार्यालय द्वारा चीफ ऑफ द नेशनल स्टाफ के हस्ताक्षर से ही जारी किया जायेगा।
ग) साधारणत सभी नियुक्तियां 2 साल के लिए होगी लेकिन कार्य समीक्षा के अनुसार किसी भी पाधिकारी को प्रोन्नत एवं पद्वनत किया जा सकता है।

शैक्षणिक योग्यता

क) स्क्वैड और हैड स्क्वैड को साक्षर होना अनिवार्य है।
ख) राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर के पदाधिकारी व्यक्तियों को स्नातक व सेना अथवा किसी अर्ध सैनिक या रक्षा अथवा सुरक्षा से सबंधित सैन्य संगठन से सेवानिवृत जूनियर कमीशन ऑफिसर या समकक्ष होना आवश्यक है। किसी विशिष्ट महत्व के मामले में चीफ ऑफ द नेशनल स्टाफ को इस सम्बन्ध में शिथिलता बरतने का अधिकार होगा।
ग) जिला स्तर के पद के पद धारको को 10.12 उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
घ) स्क्वैड स्तर के लिए कम से कम 8 वी पास होना अनिवार्य है।

विभिन्न इकाई व पद पोस्ट संख्या

क) राष्ट्रीय स्तर पर - एक चीफ ऑफ द नेशनल स्टाफ, एक सीनियर डिप्टी चीफ ऑफ द नेशनल स्टाफ ,आठ डिप्टी चीफ , चौबीस अस्सिस्टेंट चीफ,टोटल चौतीस पदाधिकारियों की कार्यकारिणी होगी, यदि चीफ ऑफ द नेशनल स्टाफ आवश्यकता समझे तो पद संख्या बढ़ाई जा सकती है।

ख) प्रदेश स्तर पर - एक चीफ ऑफ द स्टेट स्टाफ , एक सीनियर डिप्टी चीफ , आठ डिप्टी चीफ, चौबीस अस्सिस्टेंट चीफ , टोटल चौतीस पदाधिकरियों की कार्यकारिणी होगी, यदि भविष्य में चीफ ऑफ द स्टेट स्टाफ आवश्यकता अनुभव करता हैं तो चीफ ऑफ द नेशनल स्टाफ से लिखित अनुमति ले कर पदाधिकारियों की संख्या बढ़ा सकता है।

ग) मंडल व जिला स्तर पर - एक चीफ , एक सीनियर डिप्टी चीफ ,आठ डिप्टी चीफ और बीस अस्सिस्टेंट चीफ , एक हैड स्क्वैड , ग्यारह स्क्वैड , टोटल बत्तीस पदाधिकरियों की कार्यकारिणी है।

घ) ब्लॉक स्तर पर - एक चीफ ऑफ द स्क्वैड स्टाफ, एक सीनियर डिप्टी चीफ ऑफ द स्क्वैड स्टाफ, तीन डिप्टी चीफ ऑफ द स्क्वैड , छ : अस्सिस्टेंट चीफ ऑफ द स्क्वैड स्टाफ , असीमित हैड स्क्वैड और एक स्क्वैड के नियंत्रण में दस स्क्वैड होंगे।

ड़) ग्राम पंचायत के स्तर पर - एक चीफ ऑफ द स्क्वैड स्टाफ, एक सीनियर डिप्टी चीफ ऑफ द स्क्वैड स्टाफ , तीन डिप्टी चीफ ऑफ द स्क्वैड स्टाफ , छ : अस्सिस्टेंट चीफ ऑफ द स्क्वैड स्टाफ , असीमित हैड स्क्वैड और एक हैड स्क्वैड के नियंत्रण में दस स्क्वैड की फोर्स।

कार्य - विभाजन

चीफ ऑफ द नेशनल स्टाफ : सभी प्रकार की वार्ता प्त्र -व्यवहार नियुक्तियां आदि समस्त आवश्यक कार्य करने हेतु निर्णय ले कर उन्हें क्रियान्वित कर संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करेगा और सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों का मार्ग दर्शन एवं प्रोत्साहन करेगा और वह सभी कार्य करना जोकि सगठन , समाज और देश के लिए हितकर है।

सीनियर डिप्टी चीफ ऑफ द नेशनल स्टाफ :

क) सभी प्रकार की कार्यालयीन जिम्मेदारी का चीफ ऑफ द नेशनल स्टाफ के सचिव के रुप में निर्वाह एवं नेशनल चीफ द्वारा सौंपे गये कार्यालय के बाहर के अन्य कार्यालयों में भेंट , तथा चीफ ऑफ द नेशनल स्टाफ के निर्देश पर उनका प्रतिनिधत्व करना ।

ख) सभी डिप्टी चीफ ऑफ द नेशनल स्टाफ की प्रगति रिपोर्ट एवं कार्यसमीक्षा करना और समीक्षा से चीफ को अवगत करना।

डिप्टी चीफ ऑफ द नेशनल स्टाफ : नेशनल जोन प्रभारी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किये गए जोनल एरिया में संगठित गतिविधियों का संचालन एवं संरक्षण करना। संगठनिक प्रकोष्ठों में नियुक्त चेयरमैन के पदभार का संचालन एवं निर्वाह करना ।

अस्सिस्टेंट चीफ ऑफ द नेशनल स्टाफ : क्षेत्रीय स्तर पर नेशनल रेंज प्रभारी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धरित रेंज एरिया में संगठित गतिविधियों का संचालन एवं संरक्षण। विभिन्न प्रकोष्ठों में सौंपे गये कार्य कलापों का सुचारु रुप से निर्वाह करना।

पदोन्नति

स्वर्णिम नियम - पदोन्नति में शिक्षा को गोढ़ रखकर राष्ट्र भावना और सामाजिक भलाई की भावना की निष्ठा को प्रधानता दी जाएगी।

निष्कासन , निलंबन और सदस्यता की समाप्ति

क) मृत्यु हो जाने पर।

ख) न्यायलय द्वारा विधिक रूप से दण्डित होने पर सदस्यता या किसी पद पर नियुक्ति प्रभावी न हो सकेगी जब तक उसका विधिक शमन हो गया हो।

ग) त्याग पत्र देने और स्वीकार हो जाने पर।

घ) यदि संस्था यह समझती है कि किसी व्यक्ति की निष्ठा संस्था या उसके द्वारा बनाई गयी समिति या उस समिति के सामाजिक सम्मान , सगठन या उसके उद्देश्यों की पूर्ति में बाध्यकारी है , तो संस्था उस सदस्य या पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उसके संदर्भित आरोपों के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस भेजेगी। जिसका जवाब उस व्यक्ति को 15 दिन के अंदर स्वयं पेश हो कर या लिखित देना होगा। यदि उसके जवाब की सत्यता से सम्बंधित समिति को संतुष्टि हो जाती है और आरोपित व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वह नेशनल कमेटी में अपना पक्ष में अपील दायर कर सकता है। अंतिम निर्णय चीफ ऑफ द नेशनल का मान्य होगा। संस्था से सम्बंधित किसी भी इस तरह के मामले में आरोपित व्यक्ति को कोर्ट कचहरी जाने और वाद दायर कराने का अधिकार नहीं होगा।

कार्यशैली

1 - किसी पीड़ित पक्ष के सहायता हेतु अनुरोध पर :

जब कोई पीड़ित पक्ष संस्था की किसी इकाई के समक्ष अपनी समस्या रखता है तो सर्व प्रथम इकाई चीफ अपने नाम नौटेरी टिकिट लगे और डायरी किये हुए शपथ पत्र पर पीड़ित पक्ष की एक लिखित शिकायत लेगा , जिसमे पीड़ित पक्ष द्वारा सहायता देकर न्याय दिलाने का निवेदन किया गया हो / अन्त अपनी टीम के सदस्य द्वारा इस संदर्भ में सरसरी जाँच कराएगा और तदुपरांत प्रथम-–दृष्ट्यता शिकायत सही लगने पर अपने उच्चस्थ अधिकारी से आवश्यकता अनुसार परामर्श कर संबंधित विभाग को पत्र लिख कर या भेंट कर पीड़ित पक्ष का मसला हल करायेंगा / राष्ट्र-हित और समाज-हित के मसलों पर इकाई अध्यक्ष अपनी शक्ति का आंकलन कर अपने उच्च्व अधिकारियो से परामर्श कर कार्यवाही करने का कार्य करेगा /

महिला उत्पीड़न ,सड़क–अपराध या अन्य प्रकार के अपराध होने की आशंका या होने की संभावना का ज्ञान होने पर यथा संभव अपने दल द्वारा ,शांति और सामाजिक सौहार्द बनाये रखने के लिए हो रहे या होने जा रहे अपराध के प्रति प्रथमतरू समझा कर या चेतावनी देकर रोकने का प्रयास करेगा लेकिन यदि इस बात से परिपूर्ण परिस्थिति में स्वयं को अनुभव करता है कि यदि उसने तत्काल हस्तक्षेप कर परिस्थिति पर काबू करने का प्रयास नहीं किया तो देश और समाज की सामाजिक और शांति व्यवस्था व सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी , तो वह अविलम्ब भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा – 43 के अंतर्गत अपने दल के या मौके पर उपलब्ध लोगों में से कम से कम तीन आदमियों की उपस्थिति में किसी ऐसे व्यक्ति को जो उद्घोषित अपराधी हो, या कोई गैर जमानती अपराध करता है, तो उसे यथा आवश्यक न्यूनतम बल प्रयोग कर गिरफ्तार करेगा और यथा संभव अविलम्ब पुलिस को शौप देगा । जहा सुविधा संभव है वह इस संबंध में 100 नम्र पर फोन कर पुलिस को सूचित कर सहायता ली व दी जा सकती है । इस संबंध में यह स्पष्ट करने और समझने योग्य है कि इस धारा के अनुसार यदि कोई घटना आपके सामने घटित हो रही हो तो आपके पर्याप्त सबूत होना अनिवर्या है । यदि पुलिस अधिकारी को विश्वास हो जाता है कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया यो उस व्यक्ति को तुरंत छोड़ दिया जायेगा ।
स्पष्टीकरण : – इस धारा के अंतर्गत कोई भी आम व्यक्ति ऐसे किसी भी अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा जो,
क) जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय या गैर जमानती अपराध कर रहा हो ।
ख) जो घोषित अपराधी होध लेकिन , कोई भी पदाधिकारी या आम व्यक्ति किसी संदेह या सूचना के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा / उसकी गिरफ्तारी के लिए उसकी उपस्थिति में अपराध किया जाना या अपराध किये जाने की तैयारी या चेष्ट का आवश्यक प्रमाण होना भी आवश्यक है ।

नियम एवं बाध्यताएं

क) सदस्यता शुल्क नकद या डिमांड ड्राफ्ट से ही स्वीकार्य होगा।

ख) परिचय पत्र या मनोनयन पत्र खो जाने पर तुरंत इसकी सूचना पुलिस को देनी होगी और तदोपरांत ही दूसरी कॉपी 200 /– रुपए के भुगतान के पश्चात ही जारी हो सकेगी।

ग) भर्ती फॉर्म में की गयी गलत घोषणाओं के सम्बन्ध में संज्ञान पर निष्कासन की / अन्य आवश्यक कार्यवाही होगी , जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी भर्ती करने वाले की होगी।

घ) आपराधिक गतिविधियों में संलिप्पता का संज्ञान होने पर अथवा संदिग्ध स्थिति में भी संगठन की जिम्मेदारी में बदलाव अथवा कार्य मुक्त कर अथवा निष्कासित कर सकता है। संगठन का सम्मान सर्वोपरि है। जिसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।

ड़) किसी अन्य समानांतर या सम –कार्य –बिंदु संगठन की सदस्यता पर पूर्णता प्रतिबंधित है।

च) शुल्क के रूप में जमा की गयी कोई भी राशि न तो वापस की जाएगी और न ही समायोजित की जाएगी।

छ) संस्था या उसकी समिति का परिचय पत्र एवं प्रतीक चिन्ह एक विधिक दस्तावेज या संस्था द्वारा आपको धरोहर के रूप में प्रदान की गई सम्पति है। जिसमे संस्था का सम्मान जुड़ा है , जिसकी रक्षा व सम्मान की आपसे अपेक्षा की जाती है। किसी समिति के भंग या हटाय जाने पर परिचय पत्र वापस करना अनिवपर्या है।

ज) केंद्रीय कार्यालय के अतिरिक्त जारी कोई भी परिचय पत्र अवैध माने जायेंगे। किन्तु अल्प समय के लिए गठित किसी समिति , उप समिति के लिए सम्बंधित जिला चीफ ऑफ प्रदेश को यह अधिकार होगा कि वह किसी खास मिशन के सन्दर्भ में अस्थायी रूप ले जो एक सप्ताह से अधिक के लिए विधि मान्य न होगी तथ मूल परिचय पत्र के साथ प्रयुक्त होगा। एक अधिकार पत्र निश्चित प्रारूप पर बनाकर उसकी प्रति की केंद्रीय कार्यालय को ईमेल से सूचना अवश्य दें।

झ) मनोनयन पत्र प्राप्त होने के एक माह के अंदर संस्था की वेबसाइड पर या केंद्रीय कार्यालय पर फोन करके जाँच अवश्य ले।

ट) नियुक्ति के सम्बन्ध में व्हाट्सप्प ग्रुप या समकक्ष सुविधा प्रदाता अन्य ग्रुप एप्प पर सूचना प्रसारित की जाएगी।

ठ) संस्था के नियमो का पालन कठोरता से करने की अपेक्षा प्रत्येक स्वयं सेवक से की जाती है। विपरीत आचरण अश्मय है। ऐसा होने पर अनुशासन की कार्यवाही की जाएगी।

ड) आपको ''सत्यमेव जयते'' के प्रेरणा मूलक वाक्य को आदर्श मान सदैव सच्चाई का साथ देने और समाज और राष्ट्र के विकास और एकता अखंडता की रक्षा के लिए सजग और तत्पर रहना होगा।

ढ) मनोनयन प्रक्रिया में लगभग 35 दिन की समयवधि लगती है, अतः इस सम्बन्ध में इससे पहले अपेक्षा न करे। सिर्फ अपने फॉर्म की स्थिति जान सकते है।

ण) प्रत्येक पदाधिकारी को पदोन्नति ,पदावनति अथवा प्रभार स्थनांतरण कार्य समीक्षा और स्थिति परिस्थिति की तात्कालिक अवस्था पर निर्भर करता है जिसके लिए चीफ ऑफ द नेशनल स्टाफ अथवा उनके द्वारा अधिँत अन्य पदाधिकारी विशेष रूप से निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होंगे।

त) मासिक बैठक में प्रत्येक पदाधिकारी को उपस्थित रहना अनिवार्य है।

थ) परिस्थिति के अनुसार नए नियम बनाने, नियमो में परिवर्तन करने, नियमों को छूट देने का अधिकार चीफ ऑफ द नेशनल स्टाफ का होगा जो समयानुसार सभी कार्यालयों को इस सम्बन्ध में निर्देश जारी कर सूचित करते रहेंगे।

(इति सुभम)

हस्ताक्षर / सील
चंद्रशेखर आजाद

उद्देश्य

सम्पूर्ण भारत संपन्न राष्ट्र भारत की एकता अखंडता और विधि द्वारा स्थापित संविधान के अंतर्गत कार्य करते हुए अपने महान राष्ट्र भारत के नागरिको को बिना किसी जाति, लिंग, भाषा, सम्प्रदाय आर्थिक स्तर या क्षेत्र के आधार पर घृणा, द्वेष या प्रेम की भावना से भेदभाव किये, उन्हें उनके हिस्से के नागरिक अधिकारों की सुनिश्च्ति करने और उनसे उनके नागरिक कर्तव्यों और दायित्वों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, सामाजिक असमानता जनित अस्पृयता या घृणा, कन्या भूर्ण हत्या, निवारण, पर्यावरण, श्रमिक समस्या, महिला सुरक्षा आदि के लिए कर सबके लिए विकास के समान अवसरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जनता को जागरूक करने के लिए जन सभाए, नुकड़ सभाएं, पद यात्रायें, जुलूसों, धरनो, प्रर्दशनों व प्रचार के अन्य तमाम माध्यमों द्वारा जान जागरण और सरकार, शासन, प्रशासन के पत्र व्यवहार, स्टिंग आप्रेशन और अन्य प्रकार के सबूतों को जुटाकर न्यायालय या अन्य विधि सम्मत व्यवहार के माध्यम से समस्या के सामधान निकालने में सहयोग क्र अपने देश के नागरिको की सेवा कर राष्ट्र के योगदान सुनिश्चित करना।

Central Off. : B-83, Near Akhara, 5 Mandir Marg, Shahbad Dairy, Sec.-26, Rohini, Delhi-110042

9654644963 -8860759517

nationalchief.accf@gmail.com

www.anticorruptioncrimecontrolforce.com